



## प्रारूप 2 (नियम 11(4) देखिए)

आवेदन क्रमांक/स्कूल क्रमांक : 121988/  
21146

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (खण्डवा), मध्यप्रदेश

स्कूल: **Scholars Den Higher Secondary School** मान्यता का प्रकार - नवीनीकरण मान्यता / नवीन मान्यता

Signature valid 28/04/2022

Digitally signed by  
Date: 2022.04.28 16:14:48 +05:30  
Reason: Issued by: deo kharidwa

सत्र - 2022-23

प्रति,

प्रबंधक (Scholars Den Higher Secondary School)

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 01/02/2022 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार / निरक्षण के सन्दर्भ में, मैं आपकी स्कूल - **Scholars Den Higher Secondary School** डाइस कोड - 23290714003 स्कूल क्रमांक - PS 21146 को कक्षा प्री प्राइमरी-नर्सरी से आठवीं तक के लिए दिनांक 01/04/2022 से 31/03/2025 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी :-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/ संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोसी की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्री स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ग) के उपबंध प्री-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा एसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैंपिशन फीस क संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा -
  - (क) आयु के सबूत के आभाव में ;
  - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -
  - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा
  - किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
  - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी ;
  - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा
  - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षको कि भर्ती कि जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम आर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष कि अवधि में निर्धारित न्यूनतम आर्हता प्राप्त करनी होगी
  - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनियमित कर्तव्यों का पालन करना होगा
  - प्रायवेट टीचिंग कि गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा

• स्कूल द्वारा अधिनियम कि धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे | अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गई :-

स्कूल का विवरण										
स्कूल	डाइस कोड	शैक्षणिक सत्र	जिला	क्षेत्र का प्रकार	विकास खण्ड(ब्लॉक)	ग्राम / वार्ड	पिन कोड	पुलिस थाना	रेखांश	अक्षांश
Scholars Den Higher Secondary School	23290714003	17	खण्डवा	शहरी	KHANDWA	ANAND NAGAR	450001	थाना मोघतरोड	21.8393782	76.3501829

स्कूल की सामान्य जानकारी	
स्कूल प्रारंभ होने की तिथि	06/10/1994
क्या स्कूल किसी सोसाइटी/न्यास/संगठन द्वारा संचालित है?	हाँ
सोसाइटी/न्यास/संगठन का नाम	Khandwa Sanskar Shikshan Samiti
सोसाइटी/न्यास/संगठन का पंजीयन क्रमांक	IND/1925/94
स्वामी का नाम	
स्कूल के प्रबंधक/ अध्यक्ष/ सभापति का नाम	Mrs. Sunita Agrawal
पदनाम	President
मोबाइल	9425086330
ई-मेल	scholarsdenschool@gmail.com
कार्यालय का पता	Opposite KewalRam Petrolpump Indore road Khandwa (M.P)
कार्यालय का दूरभाष	9425086330

स्कूल की प्रकृति	
शिक्षण का माध्यम	अंग्रेजी
मान्यता हेतु स्कूल का प्रकार	बालिका विध्यालय
क्या स्कूल आवासीय है?	नहीं
क्या स्कूल केवल दिव्यांग बच्चों हेतु संचालित है?	नहीं
क्या स्कूल को अल्पसंख्यक होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है?	नहीं
प्रवेश की प्रारंभिक कक्षा	प्री प्राइमरी-नर्सरी
प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम आयु	3
स्कूल की अंतिम कक्षा	आठवीं
क्या स्कूल को शासन / स्थानीय प्राधिकारी अनुदान प्राप्त है?	नहीं
क्या स्कूल मान्यता प्राप्त है?	हाँ
प्राधिकारी का नाम	Gopal chand Dad
मान्यता क्रमांक	1442
डाइस कोड(DISE)	

क्या स्कूल राज्य सरकार/ केंद्र सरकार / स्थानीय प्राधिकारी से निःशुल्क अथवा रिआयती दर पर किसी भूमि, भवन, उपकरण अथवा अन्य सुविधाएं प्राप्त होने के कारण निश्चित संख्या में बलकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु बाध्य है?	नहीं
--	------

स्कूल का क्षेत्रफल	
विवरण	आवेदन में दर्ज
स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	29290
स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन
खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	17500
स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	17262

अधोसंरचना का विवरण		
विवरण	संख्या	ओसत आकार(वर्ग फिट में)
कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष	21	1250
कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष	4	225
कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष	4	225
कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष	4	225
कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष	4	225
भोजनालय-सह-भण्डार	0	0

पाठ्यचर्चा एवं पाठ्यक्रम का विवरण	
विवरण	बोर्ड

स्कूल में उपलब्ध अन्य सुविधाओं का विवरण		
विवरण	आवेदन में दर्ज	फोटो
क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है	हाँ	
पठन पाठन सामग्री की हस्ताक्षरित सूची	हाँ	
खेलकूद एवं खेल उपकरण की हस्ताक्षरित सूची	हाँ	
पुस्तकों की संख्या	200	
पत्रिकाएं/समाचार पत्र	1	
पेयजल सुविधा का प्रकार	Tube Well	
पेयजल सुविधा की संख्या	5	
शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)	Indian	
लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	3	
लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	3	
विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	0	
क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है	हाँ	

नामांकन एवं शुल्क का विवरण				
कक्षा	कुल सीट	कुल नामांकित छात्र	स्कूल द्वारा आरक्षित सीटें	वार्षिक शुल्क

**विद्यालय के प्राचार्य अथवा ट्रस्ट/सोसायटी के अध्यक्ष/प्रबन्धक का प्रमाणीकरण**

विवरण	हाँ / नहीं
प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल ने राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा संधारित वेबसाइट पर उपरोक्त वर्णित जानकारी भी दर्ज करा दी है।	हाँ
प्रमाणित किया जाता है कि समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिए स्कूल खुला रहेगा।	हाँ
प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल ऐसी रिपोर्ट एवं जानकारी, जो कि अपेक्षित की जाए, जिला शिक्षा अधिकारी को समय समय पर दिए जाने और स्कूल की मान्यता की शर्तों की पूर्ति की निरंतरता बनाए रखने या स्कूल के कार्य में आने वाली कमियों को दूर करने के लिए समुचित प्राधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी ऐसे अनुदेशों के पालन का वचन देता है।	हाँ
प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल द्वारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित अभिलेख जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या समुचित अधिकारी को निरीक्षण के लिए किसी भी समय दिए जाएंगे तथा स्कूल, यथास्थिति, संसद या राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेही या कर्तव्य के निर्वहन के लिए केन्द्र और/या राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी या प्रशासन को समस्त ऐसी जानकारियां, जो कि आवश्यक हों, प्रस्तुत करेगा।	हाँ
विद्यालय, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अधिकथित मान्यता की शर्तों का पालन करेगा।	हाँ

मान्यता संबंधी दस् तावेज	
विवरण	अपलोड है (हाँ / नहीं)

स्कूल द्वारा संचालित पुस्तकों की जानकारी					
कक्षा	विषय	पुस्तक	लेखक	आईएसबीएन न.	अधिकतम खुदरा मूल्य

अध्यापन कर्मचारियों का विवरण							
शिक्षक का नाम	पिता / पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षणिक अर्हता विषय सहित	व्यावसायिक अर्हता	अध्यापन अनुभव(महीनों में)	नियुक्ति दिनांक	कक्षा जिसमें पढ़ाते हैं

अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के प्रयोजन के लिए पड़ोस की सीमा	
ग्राम / वार्ड	पड़ोस का प्रकार

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टर्ड अकाउंट द्वारा स्तयपित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा | प्रत्येक लेखाओं के विवरण कि एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी |
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नंबर 21146 एवं डाइसकोड (DISE ) 23290714003 है | इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नंबर संदर्भित किए जाएँ
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत कि जाएगी, जो राज्य शिक्षा केंद्र/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय –समय पर अपेक्षित कि जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनु अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन कि कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता कि शर्तों कि निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाए |
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा |
- अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी |

• अधिनियम एवं नियम के उपबंधो और मान्यता की शर्तो का उल्लघन पाये जाने तथा सिद्ध हों जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी ।

भवदीय

हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

नाम \_\_\_\_\_

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला - खण्डवा